औद्योगिक क्षेत्र में अवैध निर्माण पर एलडीए करेगा कार्रवाई

माई सिटी रिपोर्टर

संयुक्त आयुक्त उद्योग के पत्र का प्राधिकरण प्रशासन ने भेजा जवाब

लखनऊ। औद्योगिक क्षेत्र में बिना मानचित्र बनने वाली इमारतों पर एलडीए की कार्रवाई का विरोध करते हुए व्यापारियों ने उद्योग विभाग से शिकायत की थी। इस पर उद्योग विभाग की ओर से पूछे गए सवाल का जवाब प्राधिकरण प्रशासन ने भेजा है। इसमें कहा है कि एलडीए की सीमा में मौजूद औद्योगिक क्षेत्र में यदि बिना नक्शा स्वीकृत कराए निर्माण होता है तो प्राधिकरण उस पर कार्रवाई करेगा।

एलडीए सचिव पवन गंगवार ने उद्योग विभाग के संयुक्त आयुक्त को पत्र भेज कर अवगत कराया है कि औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों को नए निर्माण के लिए उद्योग विभाग से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। उद्योग विभाग औद्योगिक क्षेत्र में होने वाले निर्माण का मानचित्र तो स्वीकृत कर सकेगा, लेकिन मानचित्र के मद में जमा होने वाला शुल्क एलडीए के कोष में ही जमा होगा। एलडीए को इसका अधिकार शासन के उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 में है।

सचिव के इस पत्र से स्पष्ट हो गया कि एलडीए की टीम ने तालकटोरा औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमी के निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई एवं सील तोड़ करके निर्माण करने पर आलमबाग कोतवाली में एफआईआर कराने की कार्रवाई सही है।